फर्द अहकाम

इरज मीणा बनाम रामप्रसाद वगैरह

न्यायालय उपखण्ड

वाद 11/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप में	विशेष विवरण
11/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित प्रतिवादिगण को जवाब तक हेतु एक के अवसर दिये जा चुके है। आज दिनांक तक जवाब फाइल पेश नहीं किया गया है। अतः जवाब दावा का अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली साक्ष्यवादी बहसहेतु दिनांक 22/4/24 को पेश हो।	उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
22/4/24	पत्रावली पेश है। वादी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं प्रतिवादी की ओर से जवाब खुलवाने का आवेदन पेश किया वादी व उसके अधिवक्ता को बार बार आवाज लगाने पर भी दूसरी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी का बन्द अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नैसल ऐक्ट होकर दर्ज रजिस्टर हो।	उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:38:19 IST
Reason: SelfAttested